दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

5582/1

पत्रांक : 4768 /36/76/एक/2016–17 दिनांक : 02 जनवरी 2017

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–मैनपुरी।

विषय :वित्तीय वर्ष 2016–17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को आसरा योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजना द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में आपके जनपद को आसरा योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही हैः–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
बैंक आफ इण्डिया	772410110004957	IFSC Code BKID0007724	726.95

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद / निकाय का नाम	अनुदान संख्या	आवासों की संख्या	किश्त	अवमुक्त धनराशि
1	मैनपुरी / मैनपुरी	37	396	मूल्यवृद्धि की धनराशि	726.95
	योग				726.95

उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों में चिन्हित आसरा योजना में प्रस्तावित उपरोक्त आवासों की परियोजनाओं में योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जायेः–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप आसरा योजनान्तर्गत स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– योजनान्तर्गत जो भी कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

3– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016–17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

4– **उक्त धनराशि डूडा/कार्यदायी संस्था द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण हो जायें, क्योंकि स्वीकृत परियोजना/निर्धारित समय सीमा में कार्यपूर्ण न कराये जाने की दशा में कोई भी मूल्य वृद्धि मान्य नही होगी।**

5– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

582/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

6– सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी सयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

7– **सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से सूडा द्वारा एम0ओ0यू0 (अनुबन्ध) की कार्यवाही पूर्ण किए जाने के उपरान्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाये।**

8– सूडा द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि के अनुरूप स्थल पर सम्पादित किये गये कार्य निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्तापरक हैं, आदि का अनुश्रवण स्थानीय स्तर पर सूडा के सहायक परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
3. सहायक परि0 अधिकारी, कार्यक्रम अनुभाग, सूडा।
4. कम्प्यूटर सेल–सूडा।
5. लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक